कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांक :– एफ 1(50) लेखा/रिक्त सम्पदा नीलामी/2022/A-105 दिनांक :–16/06/2022

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि देवस्थान विभाग राजस्थान–सरकार के जयपुर में इस कार्यालय के नियंत्रणाधीन राजकीय मंदिरों में स्थित सम्पदाओं (आवासीय/व्यवसायिक) को सीलबंद लिफाफे में खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा किराये पर देने की कार्यवाही की जानी है। इच्छुक बोलीदाता निविदा की समस्त शर्तों के साथ निविदा सीलबंद लिफाफे में अपनी बोली सम्बन्धित सम्पदा के समक्ष अंकित तिथि व समय तक इस कार्यालय में जमा करवा सकते है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् उस सम्पदा से सम्बन्धित बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा। किराये पर दी जाने वाली सम्पदाओं का विवरण निम्नानुसार है।

क्र सं.	नाम मंदिर	संपदा का विवरण	न्यूनतम बोली प्रतिमाह किराया (रूपयों में)	अमानत राशि (रूपयों में)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7
1.	मंदिर श्री किल्की जी सिरहडयोढी बाजार जयपुर	व्यवसायिक गोदाम–1	27172	6522	04.07.2022 6 PM तक	05.07.2022
2.	मंदिर श्री किल्की जी सिरहडयोढी बाजार जयपुर	व्यवसायिक गोदाम–2	26523	6366	04.07.2022 6 PM तक	05.07.2022
3.	मंदिर श्री किल्की जी सिरहडयोढी बाजार जयपुर	व्यवसायिक गोदाम–3	26188	6285	04.07.2022 6 PM तक	05.07.2022
4	मंदिर श्री किल्की जी सिरहडयोढी बाजार जयपुर	आवासीय कोठडी	4843	1162	04.07.2022 6 PM तक	05.07.2022
5	मंदिर श्री रूपचन्द्रमा जी सांगानेरी गेट जयपुर	व्यवसायिक कोठडी नं–1.	8948	2148	06.07.2022 6 PM तक	07.07.2022
6	मंदिर श्री रूपचन्द्रमा जी सांगानेरी गेट जयपुर	व्यवसायिक कोठडी–2	8235	1976	06.07.2022 6 PM तक	07.07.2022
7	मंदिर श्री विनोदीलाल जी त्रिपोलिया बाजार जयपुर	व्यवसायिक दुकान प्रथम तल पर दुकान नम्बर 1	32300	7752	08.07.2022 6 PM तक	11.07.2022
8	मंदिर श्री विनोदीलाल जी त्रिपोलिया बाजार जयपुर	व्यवसायिक दुकान प्रथम तल पर दुकान नम्बर 2	32300	7752	08.07.2022 6 PM तक	11.07.2022
9	मंदिर श्री विनोदीलाल जी त्रिपोलिया बाजार जयपुर	व्यवसायिक दुकान प्रथम तल पर दुकान नम्बर 3	32300	7752	08.07.2022 6 PM तक	11.07.2022
10	मंदिर श्री विनोदीलाल जी त्रिपोलिया बाजार जयपुर	व्यवसायिक दुकान प्रथम तल पर दुकान नम्बर 4	32300	7752	08.07.2022 6 PM तक	11.07.2022
11	मंदिर श्री विनोदीलाल जी त्रिपोलिया बाजार जयपुर	व्यवसायिक दुकान प्रथम तल पर दुकान नम्बर 5	32300	7752	08.07.2022 6 PM तक	11.07.2022
12	मंदिर श्री विनोदीलाल जी त्रिपोलिया बाजार जयपुर	व्यवसायिक कोठडी	9799	2352	08.07.2022 6 PM तक	11.07.2022

E/Tender Rikat sampda

Scanned with CamScanner

13	मंदिर श्री बृजराज बिहारी जी त्रिपोलिया बाजार जयपुर	व्यवसायिक कोठडी	8406	2017	12.07.2022 6 PM तक	13.07.2022
14	मंदिर श्री बृजराज बिहारी जी त्रिपोलिया बाजार जयपुर	व्यवसायिक कमरा–1	9838	2361	12.07.2022 6 PM तक	13.07.2022
15	मंदिर श्री बृजराज बिहारी जी त्रिपोलिया बाजार जयपुर	व्यवसायिक कमरा–2	14043	3370	12.07.2022 6 PM तक	13.07.2022
16	मंदिर श्री बृजराज बिहारी जी त्रिपोलिया बाजार जयपुर	व्यवसायिक कमरा–3	17025	4086	12.07.2022 6 PM तक	13.07.2022
17	मंदिर श्री बृजराज बिहारी जी त्रिपोलिया बाजार जयपुर	व्यवसायिक कमरा–4	5436	1305	12.07.2022 6 PM तक	13.07.2022
18	मंदिर श्री बृजराज बिहारी जी त्रिपोलिया बाजार जयपुर	व्यवसायिक कमरा–5	5436	1305	12.07.2022 6 PM तक	13.07.2022
19	मंदिर श्री रामचन्द्र जी सिरहडयोढी बाजार जयपुर	दो दुकानो का शोरूम	5860	1406	14.07.2022 6 PM तक	15.07.2022
20	मंदिर श्री रामचन्द्र जी सिरहडयोढी बाजार जयपुर	व्यवसायिक दुकान नं–2	3870	929	14.07.2022 6 PM तक	15.07.2022
21	मंदिर श्री रामचन्द्र जी सिरहडयोढी बाजार जयपुर	आवासीय कमरा	6560	1574	14.07.2022 6 PM तक	15.07.2022
22	मंदिर श्री रामचन्द्र जी सिरहडयोढी बाजार जयपुर	आवासीय कोठडी	1460	350	14.07.2022 6 PM तक	15.07.2022
23	मंदिर श्री बलदेव जी परशुराम द्वारा आमेर रोड जयपुर	व्यवसायिक कोठडी	4914	1179	18.07.2022 6 PM तक	19.07.2022
24	मंदिर श्री बलदेव जी परशुराम द्वारा आमेर रोड जयपुर	व्यवसायिक दुकान नं–1	14350	3444	18.07.2022 6 PM तक	19.07.2022
25	मंदिर श्री बलदेव जी परशुराम द्वारा आमेर रोड जयपुर	व्यवसायिक दुकान नं–2	9406	2257	18.07.2022 6 PM तक	19.07.2022
26	मंदिर श्री बलदेव जी परशुराम द्वारा आमेर रोड जयपुर	व्यवसायिक दुकान न–4	11032	2648	18.07.2022 6 PM तक	19.07.2022
27	मंदिर श्री रतनबिहारी जी राय जी घेर जयपुर	व्यवसायिक (कमरे व हॉल)	37496	8999	20.07.2022 6 PM तक	21.07.2022
28	मंदिर श्री रतनबिहारी जी राय जी घेर जयपुर	व्यवसायिक गोदाम	6535	1568	20.07.2022 6 PM तक	21.07.2022
29	मंदिर श्री रतनबिहारी जी राय जी घेर जयपुर	व्यवसायिक दुकान	5210	1250	20.07.2022 6 PM तक	21.07.2022
30	मंदिर श्री बृजनिधि जी चांदनी चौक जयपुर	व्यवसायिक कोठडी	5147	1235	22.07.2022 6 PM तक	25.07.2022
31	मंदिर श्री बृजनिधि जी चांदनी चौक जयपुर	व्यवसायिक गोदाम	12996	3119	22.07.2022 6 PM तक	25.07.2022
32	मंदिर श्री आनन्दबिहारी जी बडी चौपड जयपुर	व्यवसायिक गोदाम	78670	18881	26.07.2022 6 PM तक	27.07.2022
33	मंदिर श्री गोपाल जी गाडीवालान जयपुर	व्यवसायिक दुकान–1	7785	1868	28.07.2022 6 PM तक	29.07.2022
34	मंदिर श्री गोपाल जी गाडीवालान जयपुर	व्यवसायिक दुकान–2	2860	686	28.07.2022 6 PM तक	29.07.2022
35	मंदिर श्री गोर्वधननाथ जी हवामहल जयपुर	व्यवसायिक दुकान–2	12220	2933	01.08.2022 6 PM तक	02.08.2022
36	श्री गोर्वधननाथ जी हवामहल जयपुर	आवासीय कोठडी	1380	331	01.08.2022 6 PM तक	02.08.2022
37	मंदिर श्री गोर्वधननाथ जी चौडा रास्ता जयपुर	व्यवसायिक गोदाम	51636	12393	03.08.2022 6 PM तक	04.08.2022
38	मंदिर श्री रामेश्वर जी पुराना धाट जयपुर	आवासीय कोठडी–1	796	191	05.08.2022 6 PM तक	08.08.2022
39	मंदिर श्री रामेश्वर जी पुराना धाट जयपुर	आवासीय कोठडी–2	3425	822	05.08.2022 6 PM तक	08.08.2022
40	मंदिर श्री रामेश्वर जी पुराना धाट जयपुर	आवासीय कोठडी–3	1630	391	05.08.2022 6 PM तक	08.08.2022
41	मंदिर श्री राधामनोहर जी झालानियो का रास्ता जयपुर	आवासीय कमरा	11451	2748	16.08.2022 6 PM तक	17.08.2022

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

Scanned with CamScanner

निविदा की शर्ते

1. **बोलीदाता की पात्रता:**–बोलीदाता को बोली के साथ अन्य विभागीय सूचनाओं के साथ–साथ आवश्यक रूप से अपना जन आधार नं/आधार न. मोबाईल नंबर, पैन नम्बर एंव ई–मेल आइडी उपलब्ध करवाना होगा। सफल बोलीदाता को अपना बैंक अकाउन्ट नम्बर, ब्रांच और आई.एफ.एस.सी. कोड भी उपलब्ध करवाना होगा। किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी/बेदखली की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

2. **धरोहर राशि:**– बोली के साथ बोलीदाता को वार्षिक न्यूनतम बोली दर राशि की 2 प्रतिशत धरोहर राशि डी.डी/बैंकर्स चैक के रूप में (जो कि सहायक आयुक्त प्रथम देवस्थान विभाग जयपुर के पक्ष में देय हो) जमा करनी होगी। इसके अभाव में बोली स्वीकार नहीं की जावेगी। बोली में असफल रहने पर उक्त धरोहर राशि सम्बन्धित बोलीदाता को वापिस कर दी जावेगी। बोली में **एच–2** के रूप में असफल बोलीदाता की धरोहर राशि सफल बोलीदाता **एच–1** के द्वारा निर्धारित धरोहर राशि जमा कराने की अंतिम तिथि तक विभाग के पास सुरक्षित रहेगी तदुपरान्त उसे यह राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी। सफल बोलीदाता को उस वर्ष की देय राशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा कराना होगा जो विभाग के पास प्रतिभूति के रूप में ब्याज रहित जमा रहेगा।

3. बोलीदाता द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप प्रपत्र–अ में किराये की मासिक दर ही अंकित की जानी है। इसके साथ ही निविदा की समस्त शर्ते बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की जानी है। इसके अभाव में बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

4. अधिकतम राशि के बोलीदाता को समिति द्वारा सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा तथा उससे निर्धारित अमानत राशि जमा करायी जायेगी। प्रत्येक नीलामी राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही अंतिम एवं प्रभावी होगी। राज्य सरकार द्वारा किसी भी नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है। अस्वीकार करने की स्थिति मे जमा राशि बिना ब्याज के सफल बोलीदाता को लौटा दी जायेगी। आयुक्त/प्रमुख शासन सचिव महोदय देवस्थान विभाग से प्राप्त नीलामी अनुमोदन की सूचना सफल बोलीदाता को प्रदत्त मोबाईल नम्बर/ई–मेल आईडी से अथवा उनके पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से लिखित रूप में उपलब्ध करवा दी जायेगी। सफल बोलीदाता सूचना प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर बकाया राशि जमा करा कर संपदा का कब्जा आवश्यक रूप से प्राप्त करेगा। उक्त नियत अवधि में राशि जमा नहीं कराने स्थिति में नीलामी निरस्त कर जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।

5. **अनुबंधपत्र/लीज डीड:**– सफल बोलीदाता द्वारा समस्त नीलामी राशि व अन्य बकाया राशि जमा करने के पश्चात किरायेनामे का अनुबन्ध पत्र/लीजडीड निष्पादित करना होगा । नीलामी की शर्ते एवं तत्प्रभावी जी.एफ.एण्ड ए.आर के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/देवस्थान विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले परिपत्रों को अनुबन्ध पत्र में समाहित किया जायेगा।

6. **किराया जमा कराने की व्यवस्था:**–किरायेदार मासिक किराया राशि जरिये रसीद/चैक/ड्राफ्ट व ऑनलाईन इस कार्यालय में जमा करा सकेगा।

7. देवस्थान विभाग की सम्पदा को किराये पर लेने के इच्छुक व्यक्ति इस कार्यालय से 200/– रूपये नगद जमा करवा कर बिड़ प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। अथवा ऑनलाईन SPP Portal से बिड़ प्रपत्र डाउनलोड़ किया जा सकता है। बिड़ प्रपत्र डाउनलोड़ करने पर उस बोलीदाता को सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर के पक्ष में दो सौ रूपये का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक बिड़ के साथ संलग्न करना होगा। इसके अभाव में उक्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

8. सफल बोलीदाता का उस वर्ष की देय किराया राशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करवाना होगा। बोली का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही सम्पदा किराये पर दी जायेगी। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में किरायानामा/अनुबन्ध पत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित करना होगा।

9. स्वीकृति पश्चात 15 दिवस में सम्पदा का कब्जा प्राप्त करना होगा। बोली स्वीकार करने, स्थगित करने, नीलामी की दिनांक आगे बढ़ाने, तथा बोली बिना कारण अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी कमेटी तथा देवस्थान विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

Scanned with CamScanner

10. किरायेदार को अपनी सम्पति पर सहजदृश्य रूप मे विभागीय फोरमेट कलर कोड व साईज के अनुसार देवस्थान विभाग का नाम एवं सम्पदा का विवरण लिखना आवश्यक होगा।

11. विभागीय सम्पत्तियां जिस प्रयोजन के लिये दी गई है, उसका उसी प्रयोजन अनुरूप उपयोग किया जाएगा। प्रयोजन परिवर्तन पूर्णतः निषिद्व होगा तथा उनका नियमन नही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति मे किरायेदार को परिवर्तन व संपरिवर्तन का अधिकार नही होगा। आवंटन के पश्चात् सम्पदा को उपकिरायेदारी/सहकिरायेदारी/साझेदारी पर देना निषेध रहेगा यदि ऐसा पाया जावे तो आवंटी एंव उपकिरायेदार/सहकिरायेदार/साझेदार की बेदखली करते हुये दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी एवं प्रतिभूति राशि जब्त की जावेगी।

12. विभागीय किरायेदार मंदिर मर्यादा के विरूद्व कोई व्यवसाय या कार्यकलाप नही करेगा यथा मांस, मंदिरा विक्रय, जूआ, सटटा व विधि के विरूद्व आपराधिक गतिविधियां संचालित नही करेगा न ही उसमें संलिप्त होगा। निषिद्व व्यवसायों की सूची देवस्थान विभाग समय–समय पर जारी करेगा, जिसको मानने के लिये किरायेदार अनिवार्य रूप से बाध्य होगा।

13. किरायेदार को किसी भी रूप से सम्पति को रहन करने या हस्तांतरित करने का अधिकार नही होगा।

14. व्यक्ति की स्थिति में प्रत्येक किरायेदार को आवश्यक रूप से अपना जन आधार नं/आधार न, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी तथा नवीनतम पासपोर्ट साईज का एक रंगीन फोटो देना होगा। आवश्यकतानुसार उसे अपना बैक अकाउन्ट नंबर, ब्रांच और आईएफएससी कोड तथा पैन नम्बर भी प्रस्तुत करना होगा। संस्था की स्थिति में उनसे सम्बन्धित पंजीयन/लाईसेंस का नम्बर उपलब्ध करवाना होगा। तथा संस्था के मालिक/सदस्यों के आधार नं, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी तथा नवीनतम पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटो आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने होंगे।

15. दुकानदार को अपने दुकान के साईनबोर्ड पर देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में साईज के अनुसार कलर बोर्ड में देवस्थान विभाग का नाम एवं संपदा का नाम व विवरण लिखना आवश्यक होगा। साईनबोर्ड पर दुकान के विधिक प्रोपराईटर का नाम आवश्यक रूप से लिखना होगा।

16. दुकान के भीतर उसे व्यवसाय से संबधित अपने वैध लाईसेंस या पंजीयन प्रमाण पत्र को प्रदर्शित करना होगा। उक्त लाईसेंस या पंजीयन प्रमाण पत्र पर आवश्यक रूप से आवंटी का नाम होना चाहिये। यदि वह किसी फर्म या कम्पनी के नाम से है तो उसमें प्रोपराईटर का स्वामित्व आवश्यक रूप से आवंटी के नाम होना चाहिये। उक्त के अभाव में यह माना जायेगा कि मूल आवंटी किरायेदार द्वारा सम्पति को सबलेट कर नियमों का उल्लंघन किया गया है तथा उसकी किरायेदारी समाप्त की जा सकेगी एवं किरायेदार पर नियमानुसार दण्डात्मक/बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

17. भवन के किसी भी विरूपण अथवा क्षति कारित किये जाने अथवा बिना अनुमति के परिवर्तन किये जाने अथवा शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर किरायेदारी समाप्त की जा सकेगी एवं किरायेदार नियमानुसार दण्डात्मक एवं बेदखली कार्यवाही का भागी होगा।

18. निविदा में अंकित सम्पदाओं को अधिकतम दस वर्ष की समयावधि तक के लिए किराये पर दिया जायेगा। तथा किराया राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि की जावेगी। इसके अतिरिक्त देवस्थान विभाग /राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी इससे सम्बन्धित परिपत्रों तथा राजस्थान देवस्थान विभागीय किराया नीति–2021 के समस्त प्रावधान लागू होगे।

19. बोलीदाता द्वारा एक सम्पदा की बोली के लिए एक प्रपत्र ही भरा जाना है। यदि वही बोलीदाता निविदा सूचना में अंकित विभाग की अन्य सम्पदा को किराये पर लेना चाहे तो उसकी बोली के लिए उसे दूसरा बिड़ प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी

Scanned with CamScanner

बोलीदाता द्वारा एक बिड़ प्रपत्र के साथ एक से अधिक सम्पदाओं की दरें प्रस्तुत की गई तो वह निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

20. बोली प्रस्तुत करते समय बंद लिफाफे पर सम्पदा का नाम, मंदिर का नाम व सूची में अंकित सम्पदा की क्र.सं. आवश्यक रूप से अंकित की जानी है। बंद लिफाफे में प्रपत्र–अ पूर्ण कर हस्ताक्षरित निविदा की शर्तें, आधार कार्ड व पैन कार्ड की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करनी है।

21. इच्छुक बोलदाता द्वारा कार्यालय की सम्पदा शाखा/मंदिर प्रबन्धक से संपर्क कर बोली हेतु प्रस्तावित सम्पदाओं का भौतिक निरीक्षण किया जा सकता है। सम्पदा जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में किराये पर दी जायेगी। यदि उसमें मरम्मत की आवश्यकता हो तो सफल निविदादाता/अनुबन्धकर्ता विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर उसकी मरम्मत करवा सकता है।

22. विशेष परिस्थितियों में यदि किसी सम्पदा की नीलामी तिथि व समय में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो सम्बन्धित सम्पदा की नीलामी की तिथि व समय की सूचना बाद में पृथक से जारी कर दी जावेगी।

23. प्रत्येक बोली सहायक आयुक्त/आयुक्त/शासन सचिव, देवस्थान विभाग से अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावी मानी जायेगी।

24. उक्त बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

(आकाश रंजन)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

क्रमांक :– एफ 1(50) लेखा/रिक्त सम्पदा नीलामी/2022/A-106-123 दिनांक :– 16/6/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान–उदयपुर को सूचनार्थ एवं निविदा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. श्रीमान सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
5. श्रीमान आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर/हैरिटेज जयपुर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
6. श्रीमान जिला कलक्टर, जयपुर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
7. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग भरतपुर/हनुमानगढ़/बीकानेर /जोधपुर/उदयपुर/वृन्दावन/ऋषभदेव /कोटा/ अजमेर/जयपुर (द्वितीय) को अपने कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

(आकाश रंजन)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र–अ

सूची में अंकित सम्पदा की क्र.सं.	नाम मंदिर	सम्पदा का विवरण	बोलीदाता द्वारा बोली में प्रस्तावित मासिक दर
			अंको में... शब्दों में... ....

नोटः–

1. बोलीदाता द्वारा बोली में दरें दस के गुणाक में ही प्रस्तुत करनी होगी।
2. इस प्रपत्र में निविदा सूचना में वर्णित अनुसार ही विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। अन्यथा बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

बिडर के हस्ताक्षर मय दिनांक
बिड हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का पद एवं स्थिति
मोबाईल नं.
मेल आईडी

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

Scanned with CamScanner